राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

निजी विश्वविद्यालय विधियों को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं.–इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''निजी विश्वविद्यालय विधियां'' से अनुसूची में विनिर्दिष्ट निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियम अभिप्रेत हैं; और

(ख) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. निजी विश्वविद्यालय विधियों का संशोधन.–निजी विश्वविद्यालय विधियों में विद्यमान अभिव्यक्तियों ''कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति–कुलपति'', जहां कहीं भी आयें, के स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्तियां ''चेयरपर्सन'', ''प्रेसीडेंट'' और ''प्रो–प्रेसीडेन्ट'' प्रतिस्थापित की जायेंगी।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

क्रम सं.	नाम	अधिनियम सं.
1	2	3
1	सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, अधिनियम, 2008	2008 का 4
2	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 5

1	2	3
3	सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनू) अधिनियम, 2008	2008 का 6
4	निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 7
5	एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 8
6	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 16
7	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 17
8	भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 2008	2008 का 18
9	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 19
10	महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2009	2009 का 3
11	मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ अधिनियम, 2009	2009 का 4
12	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ेला (झुन्झुनू) अधिनियम, 2009	2009 का 5
13	जोधपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2009	2009 का 6

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निजी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति, कुलपति और प्रति–कुलपति की नाम पद्धति/पदाभिधान का उपयोग किया गया है। महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति की अध्यक्षता में दिनांक 4 और 5 जनवरी, 2008 को आयोजित कुलपतियों के सम्मेलन के दौरान यह मत प्रकट किया गया था कि इन पदाभिधानों का निजी विश्वविद्यालयों के संदर्भ में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इनके स्थान पर उचित और उपयुक्त पदाभिधानों का उपयोग किया जा सकता है।

राज्य के विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों के उच्चतर पदों के बीच अन्तर बनाये रखने की दृष्टि से कुलाधिपति, कुलपति और प्रति–कुलपति के पदाभिधान को क्रमशः चेयरपर्सन, प्रेसीडेन्ट और प्रो–प्रेसीडेन्ट के रूप में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह,
प्रभारी मंत्री ।

(Authorised English Translation)

Bill No. 5 of 2010

THE RAJASTHAN PRIVATE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Private Universities' Laws.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Private Universities' Laws (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Definitions.–In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Private Universities' Laws" means the Private Universities' Acts specified in the Schedule; and

(b) "Schedule" means the Schedule appended to this Act.

3. Amendment of Private Universities' Laws.–In the Private Universities' Laws, for the existing expressions "Chancellor", "Vice-chancellor" and "Pro-Vice-chancellor" whenever occurring, the expressions "Chairperson", "President" and "Pro-President" respectively shall be substituted.

SCHEDULE

(See section 3)

S.No.	Title	Act No.
1	The Sir Padampat Singhania University, Udaipur Act, 2008	4 of 2008
2	The Jaipur National University, Jaipur	5 of 2008

	Act, 2008	
1	2	3
3	The Singhania University, Pacheri Bari (Jhunjhunu) Act, 2008	6 of 2008
4	The Nims University Rajasthan, Jaipur Act, 2008	7 of 2008
5	The Amity University Rajasthan, Jaipur Act, 2008	8 of 2008
6	The Suresh Gyan Vihar University, Jaipur Act, 2008	16 of 2008
7	The Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur Act, 2008	17 of 2008
8	The Bhagwant University, Ajmer Act, 2008	18 of 2008
9	The Jagan Nath University, Jaipur Act, 2008	19 of 2008
10	The Mahatma JyotiRao Phoole University, Jaipur Act, 2009	3 of 2009
11	The Mewar University, Chittorgarh Act, 2009	4 of 2009
12	Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University, Chudela (Jhunjhunu) Act, 2009	5 of 2009
13	The Jodhpur National University, Jodhpur Act, 2009	6 of 2009

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The nomenclature/designation of Chancellor, Vice-chancellor and Pro-Vice-chancellor have been used in the Private Universities. During the Vice-chancellor's conference held under the Chairmanships of H.E. the Governor and Chancellor on 4th and 5th January, 2008 a view was expressed that these designations should not be used in the context of Private Universities. Instead, suitable and appropriate designations could be used.

In order to maintain distinction between the designations of higher offices of the State Universities and the Private Universities, it is proposed to change the designation of Chancellor, Vice-chancellor and Pro-Vice-chancellor to be Chairperson, President and Pro-President respectively.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objects.

Hence the Bill.

डॉ. जितेन्द्र सिंह,
Minister Incharge.

Bill No. 5 of 2010

THE RAJASTHAN PRIVATE UNIVERSITIES' LAW (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

———

A

Bill

to amend the Private Universities' Laws.

———

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

———

H.R. KURI,
Secretary.

(Dr. JITENDRA SINGH, **Minister-Incharge**)

2010 का विधेयक संख्या–5

राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

निजी विश्वविद्यालय विधियों को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसा कि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुड़ी,
सचिव।

(डॉ. जितेन्द्र सिंह,**–प्रभारी मंत्री**)